न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.-2023 / 562

मिसल नम्बर– 71 / 2023

1. केसरीलाल आत्मज औकार जी जाति लश्करी मेघवंशी
2. हेमराज आत्मज औंकार जी जाति लश्करी मेघवंशी
3. किशनलाल आत्मज औंकार जी जाति लश्करी मेघवंशी
4. मोहनलाल आत्मज औकार जी जाति लश्करी मेघवंशी
5. फूलचन्द आत्मज औकार मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

   5/1. रघुवीर आत्मज फूलचन्द जाति लश्करी मेघवशी

   5/2. चन्द्रकला पत्नी फूलचन्द जाति लश्करी मेघवंशी

   निवासीगण कालपुरिया बस्ती रामदेव जी के मन्दिर के पास लाडपुरा जिला कोटा .....वादीगण

बनाम

1. रामकरण आत्मज गोपीलाल जी जाति माली निवासी अर्जुनपुरा सहकारी बैंक के पास वाली गली तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

..... प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक - 9/3/26

उपस्थित–

1.श्री घनश्याम नागर अधिवक्ता वादीगण

2.श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1

वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान टेनन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी सपठित आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी द्वारा वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया है कि–

वादी क्रम 1 लगायत 4 एवं वादी क्रम 5/1, 5/2 के पिता एवं दादा औंकार आत्मज बालकिशन जी थे। जिनका स्वर्गवास हो गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

बालकिशन जी के औंकार एवं शोराम पुत्र हैं। बालकिशन जी के स्वर्गवास बाद उनकी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातलाब स्थित आराजी खसरा नम्बर 556 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.98 हैक्टर खसरा नम्बर किशन जी के 563 रकबा 0.26 हैक्टर कुल तीन किता की 2.19 हैक्टर आराजी बाल बाद औंकार एवं शोराम दोनो पुत्रो के नाम सम्भाग से राजस्व रिकोर्ड में बाद सेटलमेन्ट दर्ज की गई।

बाद सेटलमेन्ट औंकार जी एवं शोराम जी द्वारा वर्णित आराजी का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 556 रकबा 0.95 हैक्टर आराजी औंकार जी को एवं खसरा नम्बर 559 रकबा 0.98 हैक्टर आराजी शोराम जी को प्राप्त हुयी जिस पर जीवन पर्यन्त दोनों भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे जिनके बाद स्वर्गवास बाद उनके वारिसान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

औकार जी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातलाब स्थित आराजी खसरा नम्बर 556 रकबा 0.95 हैक्टर पर जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे और उनके स्वर्गवास बाद वादीगण उनके वारिसान एवं उत्तराधिकारी होने से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है।

प्रतिवादी क्रम 1 अनुसूचित अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। प्रतिवादी की जाति माली है, जो पिछडे वर्ग में आती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, के अन्तर्गत अनुसूचित अथवा अनुसूचित जनजाति की आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती।

प्रतिवादी द्वारा राजस्व कर्मचारियो के साथ मिलीभगत कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन कर वादीगण के पिता औंकार आत्मज बालकिशन जी के खातेदारी एवं वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातलाब स्थित खसरा नम्बर 556 रकबा 0.95 हैक्टर आराजी को अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाली जो विधि द्वारा बाधित होने से निरस्तनीय है।

वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की हाल ही में राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त करने पर हुयी जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी से नाम दर्ज करवाने के लिये कहा जिसपर प्रतिवादी द्वारा इंकार कर देने से वादीगण के लिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

वादीगण की वर्णित आराजी पैतृक आराजी है जिस पर वादीगण पिता के स्वर्गवास के बाद से निरन्तर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से तथा शहरी सीमा में स्थित होने से प्रतिवादी दर्ज नाम के आधार पर खुर्द बुर्द कर भूखण्डो में विभाजित करने पर आमादा है इस कारण प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 10.08.2023 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से नाम दर्ज करवाने व खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु कहा जिस पर प्रतिवादी द्वारा इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 556 रकबा 0.95 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के वर्णित आराजी के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुँचाये ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से ही करवाये वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें

प्रतिवादीगण की ओर से वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र – रेसज्यूडिकेटा के दोष से ग्रस्त होने के आधार पर विधि द्वारा वर्जित होने के कारण न्यायहित में वाद व संलग्न प्रार्थना पत्र (स्टे) इसी स्टेज पर/वाद की प्रथम सुनवायी पर सव्यय खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी. पी. सी. सपठित आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्रानुसार :–

अप्रार्थी क्रम लगायत 5/ वादीगण क्रम 1 लगायत 5 में जिस कृषि भूमि खसरा नम्बर 556 (जिसके पुराने खसरा नम्बर 336 रकबा 0.95 हैक्टर वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान बाबत हस्तगत वाद वास्ते घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, वह कृषि भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.04.75 वादीगण के पिता औंकार आत्मज बाल किशन जाति लश्करी 18,000/– रूपये अक्षरे अठारह हजार रूपये में विक्रय कर चुके है और खरीद की तिथी से ही प्रतिवादी क्रम 1 व उसका भाई सुखदेव उक्त खरीद शुदा भूमि पर काबिज काश्त है। पारिवारिक सेटलमेन्ट में उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम बतौर खातेदार कृषक वर्तमान में अमल दरामद है। जहां तक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त भूमि के विक्रेता ओंकार जी की जाति का प्रश्न है, ओंकार जी की जाति लश्करी है, व लश्करी जाति अनुसुचित जाति नही होने से औकार जी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव के पक्ष में किया गया उक्त कृषि भूमि का बेचान राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 बी के प्रावधानो का उल्लंघन नही है। इसकी पुष्टि स्वयं विक्रेता ओंकार जी द्वारा अपने जीवनकाल में क्रेता यानि की प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव के विरूद्ध न्यायालय ए. सी. एम. मुख्यालय कोटा राजस्थान में उक्त बेचान को धारा 42 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो का उल्लंघन बताते हुए पेश किये गये वाद संख्या 2/83 बउनवानी औंकार बनाम सुखदेव वगैरा अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज. टी. एक्ट में पारित इस आदेश दिनांक 3.12.84 से होती है कि–"मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थी औकार की जाति लश्करी है, जिसके द्वारा उक्त भूमि का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण व सुखदेव को किया गया व विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 249 से दिनांक 17.02.83 को उक्त भूमि क्रेतागण के नाम खाते दर्ज हो गयी है, और खरीद की तिथी से ही प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव का खरीद शुदा भूमि पर कब्जा है, ऐसे में औंकार द्वारा किया गया उक्त भूमि का बेचान धारा 42 (बी) राज. टी. एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन न होने के कारण औंकार द्वारा प्रस्तुत यह वाद कानूनन पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है।"

इस प्रकार उक्त वर्णित तथ्यो से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रथमतः तो वादीगण के पिता औंकार जी द्वारा वाद में विचाराधीन कृषि भूमि का दिनांक 30.04.75 को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव को किये गये बेचान का तथ्य दुर्भावना वश, इरादतन छिपाया गया है, ऐसे में वादीगण हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद में क्लीन हैन्ड नहीं है. और द्वितीयतः हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद मे वादीगण ने जो विचाराधीन कृषि भूमि बाबत वादीगण के पिता औंकार जी का नाम रिकॉर्ड से डिलीट कर उसके स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 व उसके छोटे भाई सुखदेव का नाम अमल दरामद किये जाने को धारा 42 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो का उल्लंघन बताया है, उस प्रश्न/विवाद्यक का अन्तिम रूप से विनिश्चय, दिनांक 3.12.84 को माननीय न्यायालय ए. सी. एम. कोटा द्वारा पूर्ववर्ती वाद में पारित ऊपर वर्णित निर्णय से प्रतिवादी क्रम 1 व सुखदेव और वादीगण के पिता औकार के मध्य हो चुका है। ऐसे में उसी निर्णित हो चुके विवाद्यक के आधार पर उसी कृषि भूमि बाबत औकार जी की मृत्यु के बाद औंकार जी के वारिसान/वादीगण हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध संस्थित करने के लिये धारा 11 सी. पी. सी. के तहत विधि द्वारा वर्जित है। उक्त भूमि पर खरीद की तिथी से यानि की विगत 48 वर्षों से कब्जा बहैसियत खातेदार कृषक क्रेतागण/प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव का है और वर्तमान में उक्त भूमि पारिवारिक सेटलमेन्ट के तहत प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खाते बहैसियत खातेदार कृषक अमल दरामद है, ऐसे में हस्तगत वाद व वाद के साथ संलग्न स्टे प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा के दोष से ग्रसित होने के आधार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को-

पर विधि द्वारा वर्जित होने के कारण न्यायहित में इसी स्टेज वाद की प्रथम सुनवायी पर ही खारिज होने योग्य है।

वादीगण की जाति लश्करी है व वादीगण के पिता औकार जी द्वारा दिनांक 30.04.75 को प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे भी अपनी जाति लश्करी आलेखित करके आये है। यही नहीं हस्तगत वाद में भी वादीगण ने अपनी जाति वाद के टाईटल में लश्करी आलेखित की है। और लश्करी जाति राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेखित नहीं है। कोटा राज के स्टेट टाईम के सरकूलर में भी लश्करी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती। जिसकी पुष्टि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में अपने कई न्यायिक दृष्टान्तो में की है। ऐसे मे वादीगण के पिता औकार जी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव के पक्ष में दिनांक 30.04.75 को विचाराधीन कृषि भूमि का बेचान धारा 42 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अवैध नहीं है। और यही उक्त मद माननीय न्यायालय ए. सी. एम. मुख्यायल कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 3.12.84 में पूर्ववर्ती वाद में व्यक्त किया है। सारतः वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 क्रमशः लश्करी व माली जाति यानि की सामान्य जाति वर्ग के है जिनपर धारा 42 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते।

ऐसे में वादीगण द्वारा विवादित भूमि बाबत प्रस्तुत किये गये हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद व वाद के साथ संलग्न स्टे प्रार्थना पत्र में जो विवाद्यक अन्तर्निहित है उस विवाद्यक का अन्तिम रूप से विनिश्चय वादीगण के पिता द्वारा विवादित भूमि बाबत प्रस्तुत किये गये पूर्व वर्ती वाद में उक्त प्रकार से दिनांक 3.12.84 को माननीय न्यायालय ए. सी. एम. मुख्यालय कोटा द्वारा किया जा चुका है। इस कारण ओंकार जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रो यानि की वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया उसी प्रकृति का यह पश्चात्वर्ती वाद रेसज्यूडिकेटा के दोष से ग्रसित होने के कारण विधि द्वारा वार्जित होने के आधार पर कानूनन पोषणीय न होने के कारण न्यायहित में इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। इसी हेतु उक्त आशय का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में सविनय प्रस्तुत है। शेष कारण बवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेगे।

अतः उक्त विषयक प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा अप्रार्थीगण/वादी क्रम 1 लगायत 5 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त वर्णित कारणो के आधार पर हस्तगत वाद रेसज्यूडिकेटा के दोष से ग्रसित होने के आधार पर विधि द्वारा वार्जित होने के कारण कानूनन पोषणीय नही होने से इसी स्टेज पर सव्यय खारिज करते हुए तदनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 13 सपठित धारा 11, 151 सी. पी. सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :–

वादीगण का वाद घोषणा खातेदारी का है तथा वर्णित आराजी कृषि आराजी है जिसके संबंध में श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य तथ्य एवं विधी के प्रश्न है जिनपर पक्षकारान की तनकीयात बाद साक्ष्य से ही निर्णित हो सकेगी, इस कारण प्रार्थना पत्र सारहीन है।

पूर्व वाद में वादीगण पक्षकार नही है। इस कारण धारा 11 के प्रावधान वादीगण पर लागू नही होते है।

प्रतिवादी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य एवं आधार जवाब दावे के माध्यम से उठाने पर बाद तनकीयात कायम होकर साक्ष्य से निर्णित हो सकेगी इसी स्तर पर प्रतिवादी का बचाव पक्ष नही देखा जाकर केवल मात्र वादीगण के वाद का आध्ययन कर माननीय न्यायालय द्वारा वाद दर्ज किया है इस कारण प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:–

वादीगण के वाद प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये बिना ही ओर्डर 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व धारा 11 सी. पी. सी. का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

यह कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मे कथन रहा है कि वर्णित आराजी के संबंध मे पूर्व मे न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये गये व विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया गया जिनके आधार पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हो जाने से वादीगण का वाद पोषणनीय नहीं है इसका वादीगण द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया।

यह कि वादीगण का वाद में मुख्य कथन रहा है कि वर्णित आराजी पूर्व मे वादीगण के पूर्वजो के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी जो लश्करी मेघवंशी के रूप में दर्ज होने के बाद भी प्रतिवादी जनरल कास्ट का व्यक्ति होने के बाद भी विधि विरूद्ध रूप से नाम दर्ज करवाली जो प्रारम्भ से ही वादीगण के विरूद्ध शून्य है। तथा शून्य दस्तावेज को वादीगण के लिये निरस्त करवाना आवश्यक नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वादीगण का वाद घोषणा खातेदारी का है वर्णित आराजी आज भी कृषि आराजी है तथा कृषि आराजी के संबंध मे श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे उठायी गयी आपत्तियां तथ्य एवं विधि का प्रश्न है जो बाद साक्ष्य साध्य उपरान्त ही तय हो सकेगी, जिन्हें प्रतिवादीगण जवाब दावा के माध्यम से बाद तनकीयात सिद्ध करे।

माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का मानकर दर्ज किया है जिसके संबंध में प्रतिवादी को आपत्ति करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

आर्डर 7 नियम 10 सी. पी. सी. में प्रावधान है कि अगर माननीय न्यायालय किसी कारण के वाद को श्रवणाधिकार का नही माने तो न्यायालय को वाद को वापिस लोटाने का प्रावधान है किन्तु खारिज नही किया जा सकता।

माननीय न्यायालय वादीगण के वाद पत्र व जवाब दावा के माध्यम से किसी तनकी के निर्णय हेतु अपने आपको श्रवणाधिकार में नहीं मानता है तो राजस्व न्यायालय को अन्तर्गत धारा 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे वर्णित तनकी के संबंध में सिविल वाद सिविल न्यायालय को भेजा जा सकता है इस प्रकार प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण को दिनांक 07.11.23 को वाद की तामील होने के बाद आज तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है। निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से जवाब दावा बन्द किया जावे।

वादीगण द्वारा वाद में अर्जेन्ट नेचर का होने से वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 212 का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया किन्तु प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को देरी ना करने के ध्येय से उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं हो सका, इस कारण प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे और प्रतिवादी के जवाब का अवसर बन्द किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण आत्मज गोपीलाल उक्त विषयक वाद मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर लिखित बहस प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:-

अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5/वादीगण क्रम 1 लगायत 5 ने जिस कृषि भूमि खसरा नम्बर 556 (जिसके पुराने खसरा नम्बर 336) रकबा 0.95 हैक्टर वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान बाबत हस्तगत वाद वास्ते घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में प्रार्थी /प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है वह कृषि भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30. 04.75 वादीगण के पिता औकार आत्मज बालकिशन जाति लश्करी 18,000/- रूपये अक्षरे अठारह हजार रूपये मे विक्रय कर चुके है। और खरीद की तिथी से ही प्रतिवादी क्रम 1 व उसका भाई सुखदेव उक्त खरीद शुदा भूमि पर काबिज काश्त है। पारिवारिक सेटलमेन्ट मे उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम बतौर खातेदार कृषक वर्तमान में अमल दरामद है। जहां तक उक्त भूमि के विक्रेता औकार जी की जाति का प्रश्न है ओंकार जी की जाति लश्करी है व लश्करी जाति अनुसूचित जाति नही होने से ओंकार जी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव के पक्ष में किया गया उक्त कृषि भूमि का बेचान राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 बी के प्रावधानो का उल्लघन नही है जिसकी पुष्टि स्वयं विक्रेता औंकार जी द्वारा अपने जीवनकाल मे क्रेता यानि की प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव के विरूद्ध न्यायालय ए. सी. एम. मुख्यालय कोटा राजस्थान मे उक्त बेचान को धारा 42 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो का उल्लघन बताते हुए पेश किये गये पूर्ववर्ती वाद संख्या 2/83 बउनवानी औंकार बनाम सुखदेव वगैराह अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे पारित इस आदेश दिनांक 30.11.83 से होती है कि "मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थी औंकार की जाति लश्करी है, जिसके द्वारा उक्त भूमि का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण व सुखदेव को किया गया व विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 249 से दिनांक 17.02.83 को उक्त भूमि क्रेतागण के नाम खाते दर्ज हो गयीं है, और खरीद की तिथी से ही प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव का खरीद शुदा भूमि पर कब्जा है. ऐसे में ओंकार द्वारा किया गया उक्त भूमि का बेचान धारा 42 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन न होने के कारण औकार द्वारा प्रस्तुत यह वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

इस प्रकार उक्त वर्णित तथ्यो से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रथमतः तो वादीगण के पिता ओंकार जी द्वारा वाद में विचाराधीन कृषि भूमि का दिनांक 30.04. 75 को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव को किये गये बेचान का तथ्य हस्तगत पश्चातवर्ती वाद मे दुर्भावनावश इरादतन छिपाया गया है ऐसे में वादीगण हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद में क्लीन हैन्ड नहीं है। और द्वितीयतः हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद मे वादीगण ने जो विचाराधीन कृषि भूमि बाबत वादीगण के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पिता औंकार जी का नाम रिकॉर्ड से डिलीट कर उसके स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 व उसके छोटे भाई सुखदेव का नाम अमल दरामद किये जाने को धारा 42 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो का उल्लंघन बताया है। उक्त प्रश्न/विवाद्यक का अन्तिम रूप से विनिश्चय, दिनांक 30.11.84 को माननीय न्यायालय ए. सी. एम. कोटा द्वारा पूर्ववर्ती वाद में पारित ऊपर वर्णित निर्णय से प्रतिवादी क्रम 1 व सुखदेव और वादीगण के पिता औकार के मध्य हो चुका है। ऐसे में प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष मे पूर्ववर्ती वाद में निर्णित हो चुके विवाद्यक के आधार पर पुनः उसी कृषि भूमि बाबत औंकार जी की मृत्यु के बाद औंकार जी के वारिसान/वादीगण हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध संस्थित करने के लिए धारा 11 सी पी सी के तहत विधि द्वारा वर्जित है। उक्त भूमि पर खरीद की तिथी से यानिकी विगत 48 वर्षो से कब्जा बहैसियत खातेदार कृषक क्रेतागण ध्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव का है और वर्तमान में उक्त भूमि पारिवारिक सेटलमेन्ट के तहत प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खाते बहैसियत खातेदार कृषक अमल दरामद है। ऐसे में हस्तगत वाद व वाद के साथ संलग्न स्टे प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा के दोष से गृसित होने के आधार पर विधि द्वारा वर्जित होने के कारण न्ययहित में इसी स्टेज वाद की प्रथम सुनवायी पर ही खारिज होने योग्य है। न्यायिक दृष्टान्त (2002) 10 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 501 प्रकरण बउनवानी राजनारायण सरीन बनाम लक्ष्मी देवी वगेराह मे यह अभी निर्धारित किया गया है कि - Civil Procedure Code, 1908- Or.7 R.11-Rejection of plaint-justified where the litigation was utterly vexatious and an abuse of procors of court- Forty- year late challenge to transfer of certain landholding by sale deed executed by predecessor of plaintiff On facts held, rejection of plaint justified as plaint itself showed that execution of sale deed was within knowledge of respondent-plaintiff and he had taken no steps to have the deed declared invalid, or note binding or ineffective- it was too late to contend that the sale deed concerned did not cover a particular portion of the land-High Court erred in allowing respondents app eal and setting aside order and decree of ADJ rejecting the plaint. (paras 7 and 8)

वादीगण की जाति लश्करी है व वादीगण के पिता औकार जी द्वारा दिनांक 30.04.75 को प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे भी अपनी जाति लश्करी आलेखित करके आये है। यही नही हस्तगत वाद में भी वादीगण ने अपनी जाति वाद के टाईटल मे लश्करी आलेखित की है और लश्करी जाति राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुसुचित जाति की सूची में अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेखित नहीं है। कोटा राजस्थान के स्टेट टाईम के सरकूलर में भी लश्करी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही आती है। जिसकी पुष्टि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में अपने कई न्यायिक दृष्टान्तो मे की है। ऐसे मे वादीगण के पिता औकार जी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व उसके भाई सुखदेव के पक्ष मे दिनांक 30.04.75

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

को विचाराधीन कृषि भूमि का बेचान धारा 42 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अवैध नहीं है। और यही उक्त मत माननीय न्यायालय ए. सी. एम. मुख्यालय कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.84 में पूर्ववर्ती वाद में व्यक्त किया है सारतः वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 क्रमशः लश्करी व माली जाति यानिकी सामान्य जाति वर्ग के है। जिनपर धारा 42 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। फलतः दावा वादीगण उक्त कारण से खारिज होने योग्य है।

ऐसे में वादीगण द्वारा विवादित भूमि बाबत प्रस्तुत किये गये हस्तगत पश्चात्वर्ती वाद व वाद के साथ संलग्न स्टे प्रार्थना पत्र मे जो विवाद्यक अन्तर्निहित है उस विवाद्यक का अन्तिम रूप से विनिश्चय वादीगण के पिता द्वारा विवादित भूमि बाबत प्रस्तुत किये गये पूर्ववर्ती वाद मे उक्त प्रकार से दिनांक 30.11.84 को माननीय न्यायालय ए. सी. एम मुख्यालय कोटा द्वारा किया जा चुका है। यही नही राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण/अपील संख्या 340/90 बउनवानी बसन्तीलाल वगैरा बनाम शोराम वगैरा में दिनांक 31.08.92 को पारित निर्णय में भी इस बात की पुष्टि होती है कि वादीगण के पूर्वज औकार द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण व उसके भ्राता सुखदेव के पक्ष में दिनांक 30.04.75 को किया गया वादग्रस्त आराजी का बेचान विधि सम्मत था, इस तथ्य को उक्त निर्णय में विचाराधीन प्रकरण मे स्वयं विक्रेता औकार के सगे भाई शोराम ने स्वीकार करते हुए विवादि भूमि के नये नम्बर खसरा नम्बर 556 रकबा 0.98 हेक्टर प्रतिवादी क्रम 1 की होना जाहिर किया है, तथा इसी क्रम में खसरा नम्बर 559 की 0.98 हैक्टर भूमि अन्य क्रेता बसन्तीलाल की होना जाहिर किया है। स्मरण रहे कि उक्त दोनो खसरा नम्बरान जो कि विवादित भूमि के नये खसरा नम्बरान है की भूमि का बेचान औंकार ने क्रमशः प्रतिवादी क्रम 1 व अन्य क्रेता बसन्तीलाल को किया था, तथा शेष खसरा नम्बर 555 की 1.85 हैक्टर भूमि विक्रेता औकार के सगे भाई शोराम के खाते आज भी अमल दरामद है। न्यायिक दृष्टान्त 2012 (1) आर एल डबल्यू 423 राजस्थान पेज 422 मे अभी निर्धारित किया गया है कि ऐसी मुकदमेबाजी जो अर्थहीन है तथा आवश्य ही निष्फल होने वाली है उसे संचालित करने वाले विचारण न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन हेतु आगे और कोई समय बर्बाद किये बिना आर्डर 7 रूल 11 सी. पी. सी. के तहत निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

अतः उक्त आशय की लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त कारणो से विक्रेता औकार जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रो यानिकी वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया उसी प्रकृति का यह पश्चात्वर्ती वाद रेसज्यूडिकेटा के दोष से ग्रसित होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर कानूनन पोषणीय न होने के कारण न्यायहित में इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के क्रम मे धारा 11 सीपीसी से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। धारा 11 सीपीसी अनुसार –

"No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially issue in a former sit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue had been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

स्पष्टया धारा 11 सीपीसी यह प्रमाणित करती है कि यदि किसी मामले पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है तो उसी मुद्दे पर बाद मे कोई दुसरा मुकदमा उसी न्यायलय के नही चलाया जा सकता। धारा 11 किसी भी न्यायालय को ऐसे मामले पर विचार करने की अनुमति नही देती है जिस पर पहले ही उसी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका हो।

ऐसा निर्णय किसी भी पक्ष के बीच या उनके उत्तराधिकारियों के बीच किसी पूर्व वाद मे सीधे और ठोस रूप से तय कर दिया गया हो।

हस्तगत प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि औंकार पुत्र बालकिशन द्वारा रामकरण पुत्र गोपीलाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183 बी का वाद प्रथम न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा मे इस बाबत प्रस्तुत किया गया था कि भूमि का पंजीयन अप्रार्थी द्वारा करवाकर कब्जा ले लिया गया है तथा इंतकाल भी खुलावा लिया गया है। अतः उक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे। न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.12.84 से यह स्पष्ट किया कि प्रार्थी औंकार की जाति लश्करी है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी मे नही आती है। उक्त आधार पर औंकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी अस्वीकार कर खारिज किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रमाणित होता है कि बसंती लाल, सुखदेव व रामकरण द्वारा सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 30.12.1989 के विरूद्ध श्योराम व औंकार को प्रतिवादी बनाकर न्यायालय राजस्व अधिकारी कोटा मे प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.08.1992 द्वारा श्योराम को खसरा नं0 555 का, सुखदेव व रामकरण को खसरा सं0 556 का बसती लाल को खसरा नमबर 559 का खातेदार घोषित किया गया था।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण उक्त तथ्यों को छिपाते हुये न्यायालय मे उपस्थित हुये है। वादीगण क्लिन हैंड से न्यायालय के समक्ष हाजिर नही आये है। जिस राहत हेतु वादीगण वर्तमान मे न्यायालय मे उपस्थित हुये है। उन बिंदुओं को पूर्व मे ही न्यायालय सहायक कलक्टर कोट द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.12.1984, 30.12.1989 तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी

ाय दिनांक 31.08.1992 से निर्धारित किया जा चुका है। स्पष्टतया: हस्तगत प्रकरण धारा । सीपीसी रेसजुडीकेटा से प्रभावित है तथा इस न्यायालय को प्रष्नगत वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त नही है। साथ ही पूर्व निर्णयों से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि समस्त वाद विषयक बिन्दुओं के पूर्व मे ही निर्धारित होने के कारण वादीगण को वर्तमान मे कोई वाद कारण भी उत्पन्न नही हुआ है।

उक्त परिस्थितियों मे हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी सपठित आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी सपठित आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★